

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2016/आषाढ़ 15, 1938

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2016/ASADHA 15, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2016

सं. -यू. 23013/10/2014-एलडब्ल्यू (.).—ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद् द्वारा यह निदेश देता है कि दिनांक 22 जून, 2012 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं, नामतः:-

(क) उक्त संकल्प में पैरा-2 में क्रम संख्या (2) तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:-

“2. श्री अनिल कुमार दुबे,

कार्यकारी निदेशक, सिविल इंजीनियरी (जनरल),

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड),

नई दिल्ली- 110001

- सदस्य”

(ख) उक्त संकल्प में पैरा 4 तथा उससे संबद्ध प्रविष्टियों में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए-

“4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा। यह समिति अपनी रिपोर्ट अपने गठन के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेंगी और संबंधित समिति के सदस्य संयोजक समिति के गठन के एक माह के भीतर समिति की पहली बैठक बुलाएंगे। यह समिति सख्ती से समय-सारणी का पालन करेगी।

ए. के. सिंह, सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**(Central Advisory Contract Labour Board)****RESOLUTION**

New Delhi, the 6th July, 2016

No. U-23013/10/2014-L.W (.).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby directs that the following amendments shall be made in the Resolution of the Government of India, Ministry of Labour & Employment published in the Gazette of India, Extra-ordinary part-I Section-I dated 22nd June, 2012 namely:-

- (A) In the said Resolution for serial number (2) in para 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely thereto:-

“2. Shri Anil Kumar Dubey,

Executive Director, Civil Engineering (General),

Ministry of Railways (Railway Board),

New Delhi – 110001

-Member”

- (B) In the said Resolution in para 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely thereto”-

“4. The Headquarters of the Committee will be at Mumbai. The committee will submit its report within three months of constitution and that the Member Convener of the committee shall convene the first meeting of the committee within one month of the constitution of the committee. The committee shall strictly adhere to the time schedule.”

A. K. SINGH, Secy.